

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 21/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 13 मई, 2019

का.आ. (ई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा के अनुच्छेद 152 (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं

तालिका

क्र. सं.	नोटिसियों का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै प्रिंटवेल ऑफसेट, राजकोट, 378/A, अजी जीआईडीसी मेन रोड,	फा. सं. DRI/AZU/ JRU/ Int-04/2015-16 दिनांक 06.06.2016, दिनांक 15.07.2016	आयुक्त सीमाशुल्क (IV), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स-निर्यात, सहर, अंधेरी (पूर्व), मुंबई.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (न्हवा शेवा-II), जवाहरलाल नेहरू

	बावीसी वे ब्रिज के निकट, सहकारी मंडली के सामने, राजकोट-360003 और मै नेमलक्षमी बुक्स (इंडिया) प्रा. लि., 602, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, मजूरगेट, सूरत-395001.	और 28.03.2019 के शुद्धिपत्रों के साथ पठनीय.	आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा -II), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	कस्टम हाउस, रायगढ़.
2.	मै टाटा कम्युनिकेशनस लिम, विदेश संचार भवन, महात्मा गांधी रोड, फोर्ट, मुंबई-400001 और श्री स्वप्निल दूबे, उपाध्यक्ष (सप्लाई चैन मैनेजमेंट), मै टाटा कम्युनिकेशनस लिम, विदेश संचार भवन, महात्मा गांधी रोड, फोर्ट, मुंबई-400001.	डीआरआई फ़ा. सं. DRI/BZU/S-IV/Enq-72/ Int-Nil/2018 दिनांक 02.04.2019 (SCN No. 20/2019 DRI BZU).	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, अंधेरी पूर्व, मुंबई. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क, न्यू कस्टम हाउस, जीएसटी रोड, मीनाम्बक्कम, चेन्नई. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली.	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई
3.	मै प्रगति ग्लास प्राइवेट लिमिटेड, ओएनजीसी रोड, खराच, डिस्ट्रिक्ट-भरूच, गुजरात-394120 और श्री दिनेश गुप्ता, प्रबंध निदेशक, मै प्रगति ग्लास प्राइवेट	फ़ा. सं. DRI/AZU/CI/ Enq-33(Int-16/2018)/ 2018 दिनांक 08.04.2019.	आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-III), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़ के कार्यालय में संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क. प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (III), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स-आयात, मुंबई ज़ोन-III, सहर,	आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-III), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़ के कार्यालय में संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क.

	लिमिटेड, ओएनजीसी रोड, खराच, डिस्ट्रिक्ट-भरुच, गुजरात-394120		अंधेरी (पूर्व), मुंबई के कार्यालय मे संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क.	
4.	मै महालक्ष्मी टेक्सकेम प्रा. लिं., F-21, सिल्वर मार्केट, नरोल सरखेज हाइवे, नरोल सर्कल, अहमदाबाद-382405 और श्री शैलभ विजय डिडवानिया, निदेशक, मै महालक्ष्मी टेक्सकेम प्रा. लिं., F-21, सिल्वर मार्केट, नरोल सरखेज हाइवे, नरोल सर्कल, अहमदाबाद-382405	फा. सं. DRI/HQ-CI/ 50D/ENQ-8/2019 दिनांक 25.04.2019.	प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-III), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़ के कार्यालय मे संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क.	प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-III), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़
5.	मै रामाकृष्ण इलेक्ट्रो कोम्पोनेंट्स प्रा. लिं., B-79, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110052 और 2 अन्य.	फा. सं. DRI/HQ-CI/ 50D/ENQ-31/2016-CI दिनांक 25.04.2019.	प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगल्काबाद, नई दिल्ली.  प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़ के कार्यालय मे सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क.	प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो- तुगल्काबाद, नई दिल्ली.

			प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (आयात), न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली के कार्यालय मे सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क.	
6.	मै वीर ओवर्सीस लि., जी टी रोड, करनाल, घरौंदा, हरयाणा-132114 और 3 अन्य.	फ़ा सं. DRI/HQ-CI/ 50D/Enq-26(Int- 24)/2015-Pt-15 दिनांक 14/15.01.2019.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, मुँदरा पोर्ट एवं एसईज़ेड, मुँदरा, कच्छ, गुजरात.  संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, आईसीडी-पतली, गुरुग्राम, हरयाणा	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, मुँदरा पोर्ट एवं एसईज़ेड, मुँदरा, कच्छ, गुजरात.

[फ़ा. स. DRI/HQ-CI/50D/CAA-16/2019-CI]

(सुचेता श्रीजेश)

अपर निदेशक

**प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित**

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निर्णयन हेतु।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-अहमदाबाद, बंगलुरु को इस निवेदन के साथ कि वे उनके ज़ोनल यूनिट से संबन्धित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों को समान न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी निवेदन है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेज़ों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दे
4. उप निदेशक (ए सेल/बी सेल/सी सेल), डीआरआई-मुख्यालय, नई दिल्ली को इस निवेदन के साथ कि वे संबन्धित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों को समान न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी निवेदन है कि वे कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेज़ों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दे

